रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 1982/आषाढ़ 8, 1904

No. 123] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 1982/ASADHA 8, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 33 आईटीसी (पीएन)/82

नई दिल्ली, 29 जून, 1982

विषय:—विदेश में प्रदर्शनी के लिए हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम द्वारा स्वर्ण आभूषणों/वस्तुओं का निर्यात

(मिसिल सं० -6/182/81ईपीसी--1982-83 के दौरान वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित और मध्य पूर्वी देशों (अरब और खाड़ी के देशों) में लगाई गई प्रदर्शनियों में हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम नई दिल्ली द्वारा बिक्री के लिए स्वर्ण आभूषणों और वस्तुओं के निर्यात और प्रतिपूर्ति के रूप में सोने के आयात के लिए योजना इस सार्वजनिक सूचना के लिए अनुबंध में दी गई है।

रोमा मजुमदार, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

सार्वजनिक सूचना सं० 33 आईटीसी/(पीएन) 82, दिनांक : 29-6-1982 के लिए अनुबंध

1982-83 के दौरान मध्य पूर्वी देशों (अरब और खाड़ी के देशों में लगाई जाने वाली अनुमोदित प्रदर्शनियों में हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम, भारत लि० द्वारा बिक्री के लिए स्वर्ण आभूषणों और वस्तुओं के निर्यात के लिए योजना ।

इस योजना के अधीन केवल स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 यथा-परिभाषित स्वर्ण आभूषणों और वस्तुओं (सिक्कों को छोड़कर) के निर्यात के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। निर्यात के लिए मदें 0.5833 शुद्धता के स्वर्ण से कम की नहीं होनी चाहिए जो 14 कैरट के समरूप है ।

2. निर्यात हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम या इसके सहयोगियों द्वारा किया जाएगा। पात्र सहयोगी निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति होंगे जिनके पास स्वर्ण नियंत्रण कानून के अधीन वैध व्यापारी लाइसेंस होंगे :—

(1) रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जारी किए गये वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाले पंजीकृत निर्यातक ;

(2) प्रमाणित स्वर्णकारों की सहकारी समितियां ; और

(3) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निर्यात सदन प्रमाणपत्रों के धारक निगम जो सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित हों ।

3. इस योजना के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के विशिष्ट या सामान्य अनुमोदन के साथ प्रदर्शनी लगाने के लिए निर्यात प्रेषण के आधार पर किए जायेंगे। निर्यात की जाने वाली प्रत्येक मद, उसका कुल भार/मूल्य और स्वर्ण वस्तु का भार और शुद्धता के ब्यौरे साफ-साफ दिए जायेंगे। उपर्युक्त स्वर्ण वस्तु के अतिरिक्त जड़ित मदों के मामले में उनके विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली मद का विवरण/भार/पत्थर/रत्न/मोती का मूल्य

और साथ ही साथ, सोने में मिश्रित करने के लिए उपयोग में लाई गई अन्य बहुमूल्य धातु का विवरण भी दिया जाएगा।

4. निर्यात करते समय सीमा-शुल्क प्राधिकारी इस बात का सत्यापन करने के लिए यह जांच करेगा कि निर्यात के लिए प्रस्तुत मद में प्रयोग होने वाले सोने का भार और शुद्धता संबद्ध पोतलदान बिल में निर्यातक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार है या नहीं।

5. निर्यात इस शर्त के अधीन होगा कि (1) जो निर्यातित मदें विदेश में बेची नहीं जाएंगी वे प्रदर्शनी समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर भारत में पुनः आयात की जाएंगी और (2) विदेश में बेची गई मदों के संबंध में उनकी सोने की मात्रा प्रदर्शनी समाप्त होने के अधिक से अधिक 15 दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति के रूप में आयात की जाएगी। आयात की अनुमति देने से पहले भारत का हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लि० सीमा-शुल्क प्राधिकारी के साथ इस संबंध में एक बांड निष्पादित करेगा।

6. इस योजना के अधीन बेचे गए और किए गए निर्यातों के संबंध में सोने की वस्तु के मूल्य पर कम से कम 15% और मूल्य जोड़ा जाएगा। जोड़े गए मूल्य की गणना बेचे गए और निर्यातित मदों में सोने की वस्तु के मूल्य के संबंध में की जाएगी उदाहरणार्थ, यदि निर्यात की जाने वाली और बेची जाने वाली मद का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 100 रु० है तो प्रतिपूर्ति कीमतों पर गणना किए गए शुद्ध सोने का मूल्य 87 रु० या इससे कम होना चाहिए। जड़ित मदों के मामले में और सोने और अन्य मदों का कुल मूल्य अर्थात मणि, रत्न, मोती और बहुमूल्य धातु यदि कोई हो, जिसका उपयोग निर्यातित उत्पाद के विनिर्माण में किया जाता है, 87/- रु० होना चाहिए।

7. विदेश में प्रतिपूर्ति के रूप में सोने की खरीद भारतीय स्टेट बैंक या जहां पर प्रदर्शनी लगाई गई हो उस जगह पर उनके विधिवत प्राधिकृत अभिकर्त्ता की सहायता से की जाएगी। इस बात का सुनिश्चय किया जाएगा कि सोने को चुकाई गई कीमत ऐसी हो जो निर्यातित आभूषणों के लिए न्यूनतम 15% से अधिक निर्धारित मूल्य में किसी भी समय कटौती न करें। सोने की मात्रा की गणना करने के प्रयोजन के लिए हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम उस सीमा-शुल्क प्राधिकारी द्वारा जिसने निर्यात की स्वीकृति दी थी यथा प्रमाणित निर्यातित मद की सोने की वस्तु के भार को निम्नलिखित में जो भी उपयुक्त हो उससे गुणा करेगा :—

(1) यदि घोषणा कैरट्स में है तो उसके कैरट्स को 24 से विभाजित करके ; अथवा

(2) यदि घोषणा शुद्धता में है तो उसकी शुद्धता/शुद्ध सोने के इस प्रकार परिगणित आंकड़े एक ग्राम के 10 वें भाग के लगभग तक गिने जाएंगे। किसी भी प्रकार के अपव्यय भाग के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी।

8. हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में भारत में आयातित सोना भारत सरकार की टकसाल में जमा किया जाएगा। जो बाद में पात्र सहयोगियों को दिया जाएगा। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम को बम्बई या कलकत्ता में भारत सरकार की टकसाल में आयातित सोने को उसी दिन जमा करना पड़ेगा जिस दिन सीमा शुल्क के माध्यम से सोने की निकासी हुई है या उससे अगले दिन जमा कराना पड़ेगा, और टकसाल के प्राधिकारियों से रसीद प्राप्त करनी होगी। चूंकि टकसाल की सुविधाएं केवल बम्बई और कलकत्ता में ही उपलब्ध हैं, इसलिए इस योजना के अन्तर्गत आयातित सोना केवल इन्हीं दो स्थानों पर आयात करने के लिए अनुमति किया जाना चाहिए। आयातित सोना टकसाल द्वारा 995 शुद्धता की मानक छड़ों में परिवर्तित किया जाएगा। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम निर्यातित मदों में प्रयुक्त और विदेश में प्रदर्शनियों में बेचे गए मदों में प्रयुक्त सोने के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में उपयोग किए जाने वाले सोने के लिए टकसाल से अपेक्षित सोने की मात्रा प्राप्त करेगी।

9. इस योजना के अन्तर्गत मदों का निर्यात और बिक्री इस योजना के अन्तर्गत यथा निर्धारित सोने की मात्रा की प्रतिपूर्ति को छोड़कर किसी भी अन्य प्रतिपूर्ति/लाभों के लिए पात्र नहीं होगी।

10. हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम किए गए निर्यात, विदेश में बेचा गया माल, पुनः आयातित माल और विदेश में खरीदे गए और भारत में आयात किए गए सोने का पूरा रिकार्ड रखेगी। प्रत्येक प्रदर्शनी की समाप्ति पर हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम उपर्युक्त अनुसार पूरा लेखा देते हुए एक रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य मंत्रालय, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात और केन्द्रीय उत्पादकर एवं सीमा शुल्क के अधिकाधिक समाहर्ता को भेजेगी।

11. स्वर्ण नियंत्रण विनियमन यथोचित रूप से लागू होंगे।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 33-ITC(PN)/82

New Delhi, the 29th June, 1982

Subject : Export of gold ornaments/articles by Handicrafts and Handloom Export Corporation, for exhibitions abroad.

File No. 6|182|81-EPC.—The scheme for export of gold ornaments and articles for sale at the exhibitions approved by the Ministry of Commerce and organised in Middle East Countries (Arabian and Gulf countries) by the Handicrafts and Handloom Export Corporation of India Ltd., New Delhi, during the year 1982-83, and for import of gold as replenishment, is given in the Annexure to this Public Notice.

ROMA MAZUMDAR, Chief Controller of Imports & Exports

ANNEXURE TO PUBLIC NOTICE NO. 33-ITC (PN)|82 dated the 29-6-1982

Scheme for export of gold ornaments and articles for sale at approved exhibitions to be held in Middle East countries (Arabian and Gulf countries) organised by Handicrafts and Handloom Export Corporation of India Limited, during 1982-83.

Under this Scheme, export of gold ornaments and articles (Other than coins) as defined in the Gold (Control) Act, 1968, will alone be allowed. The items for export should be made of gold of purity not less than 0.5833 fineness which corresponds to 14 carats.

2. The export will be made by HHEC or its associates. The eligible associates will be the following categories of persons holding valid dealer's licence under the Gold Control law :—

(i) Registered Exporters having valid Registration Certificates issued to them by the Gem and Jewellery Export Promotion Council;

(ii) Cooperative Societies of certified goldsmiths ; and

(iii) Corporations owned or controlled by Government holding Export House Certificates issued by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.

3. Under this scheme, exports will be made on consignment basis for holding exhibitions with the specific or general approval of the Reserve Bank of India. The description of each item exported, its total weight/value, and the weight and purity of its gold content, shall be clearly given. In the case of studded items, in addition to gold content as above, the description/weight/value of the stones/gems/pearls used in their manufacture, as well as the description/weight/value of any other precious metals used for alloying gold shall also be given.

4. At the time of export, the customs authority will check to verify that the weight and purity of gold used in each item for export is as per the exporter's declaration in the relevant shipping bill.

5. The export shall be subject to the conditions that (i) the items exported which are not sold abroad shall be re-imported into India within 15 days of the close of the exhibition, and (ii) in respect of the items sold abroad, the gold content thereof shall be imported as replenishment not later than 15 days of the close of the exhibition. The Handicrafts and Handloom Export Corporation of India Limited shall execute a bond to this effect with the Customs Authority before export is allowed.

6. A minimum value added of 15 per cent over the value of the gold content will be insisted upon in respect of the goods exported and sold under the scheme. The value added will be calculated with reference to the value of the gold content in the items exported and sold. For example, if the fob value of the item exported and sold is Rs. 100, the value of gold to be replenished shall be Rs. 87 or less. In the case of studded items, the total value of the gold and other items, namely, stones, gems, pearls and other precious metals, if any, used in the manufacture of the item exported and sold shall be Rs. 87 or less.

7. Purchase of gold as replenishment will be made abroad with the assistance of the State Bank of India or their duly authorised agent at the place where the exhibition is held. It will be ensured that the price of gold paid is such that it does not at any time erode the prescribed minimum value added of 15 per cent for the jewellery exported. For the purpose of calculating the quantity of gold, the HHEC will multiply the weight of the gold content of the exported item, as certified by the Customs authority which allowed the exeport, by the following whichever is appropriate :—

(i) Their caratage devided by 24, if the declaration is in carats ; and

(ii) Their fineness if the declaration is in fineness. The figure of pure gold so calculated will be rounded to the nearest 10th of a gramme. No allowance will be allowed for any wastage.

8. The gold imported into India as replenishment by HHEC will be deposited with the Government of India Mint for subsequent release to eligible associates. The HHEC shall be required to deposit the imported gold in Government of India Mint at ombay or Calcutta either on the same day on which the gold is cleared through the customs, or, at the latest, by the following day, and to obtain a proper receipt from the Mint authorities. Since Mint facilities exist only at Bombay and Calcutta, the gold imported under this scheme should be allowed to be imported only at these two places. The imported gold will be converted by the Mint into standard bars of .995 purity. The HHEC will obtain the requisite quantity of gold from the Mint for being used as replenishment for the gold used in the items exported and sold in the exhibitions abroad.

9. Exports and sales of items under this scheme shall not qualify for any other replenishment/benefit except to the extent of the replenishment of gold content as laid down in this scheme.

10. The HHEC will maintain complete record of exports made, goods sold abroad, goods re-imported and the gold purchased abroad and imported into India. At the ened of each exhibition, the HHEC shall submit report to the Reserve Bank of India, the Ministry of Commerce, the Chief Controller of Imports and Exports and the Jurisdictional Collector of Central Excise and Customs, giving complete account as aforesaid.

11. The Gold Control regulations will apply as appropriate.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982